(73)

न्यायालय मान०राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

विविध- 9057 I-17

प्रकरण कमांक —एक/2017 विविध

राकेश उर्फ केशवदास मिश्रा
पुत्र नारायण दास मिश्रा
ग्राम डुम्बार तहसील बल्देवगढ़
जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरुद्ध

1- मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर टीकमगढ़
2- कलुआ पुत्र रतना अहिरवार
3- धर्मुआ पुत्र रतना अहिरवार
दोनों निवासी ग्राम डुम्बार
तहसील बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ ----अनावेदकगण

G.P. Nayar Adv.

(आवेदन अंतर्गत धारा-32, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 - न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 1690-एक/2016 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 9-2-17 में हुई भूल के सुधार वावत)

महोदय,

1.यह कि आवेदक ने श्रीमान अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 10 बी-121/2015-16 में पारित आदेश दिनॉक 19-8-2015 के विरुद्ध न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर में निगरानी प्रस्तुत की थी, जो प्रकरण कमांक 1690-एक/2016 निगरानी पर पॅजीबद्ध हुई है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्र0क0 9057–एक/2017 विविध जिला टीकमगढ़0

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11.10.17	आवेदक के अधिवक्ता श्री जी0पी0नायक उपस्थित । उन्होंने मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन देकर प्रार्थना की है कि राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर के प्रकरण कमांक 1690– एक/2016 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 9–2–17 के पद दो के प्रारंभ में सर्वे कमांक के आगे 1.095 हैक्टर में से रकबा 0.730 हैक्टर विकय पत्र दिनांक 24 मार्च 2013 से कय करना अंकित कर दिया गया है जबकि यह अंकित हुआ रकबा है एंव सर्वे नंबर 172/2 लिखना भूल से छूट गया है। 2/ प्रकरण कमांक 1690– एक/2016 निगरानी मेंआये तथ्यों के एंव आदेश दिरनांक 9–2–17 में अंकित अनुसार मिलान करने पर स्थिति यह है कि वाद विचारित भूमि स्थित ग्राम डुम्बार सर्वे कमांक 172/2 रकबा 1.095 हैक्टर में से रकबा 0.730 हैक्टर वाद विचारित है किन्तु भूलवश इन भूमियों के रकबा लिखे जाकर सर्वे नंबर आदेश दिनांक 9–2–17 में लिख दिये गये है। तद्नुसार प्रकरण कमांक 1690– एक/2016 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 9–2–17 के पद दो के प्रारंभ में रकबे के पूर्व ग्राम डुम्बार की सर्वे कमांक 172/2 रकबा 1.095 हैक्टर में से रकबा 0.730 हैक्टर वावत् सॅशोधन स्वीकार किया जाता है। आदेश दिनांक 9–2–17 का शेष भाग यथावत् रहेगा सदस्य	